न्यायालय—संतोष प्रसाद शुक्ल, अष्टम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण उज्जैन (म0प्र0)

क्लेम प्रकरण क.—108 / 2021
Registration No.-MACC/601/2021
CNR No.-MP1301-008850-2021
Filing Date-23-08-2021

बलराम पिता भैरूलाल परमार, आयु 38 वर्ष, व्यवसाय फायर ब्रिगेड में नौकरी, निवासी—नानाखेड़ी कालियादेह महल के पास, उज्जैन {म.प्र.} ....**आवेदक**

/ / विरूद्ध / /

1. भंवरलाल पिता दयाराम बलाई, आयु 33 वर्ष, व्यवसाय वाहन चालक एवं मालिक, निवासी—ग्राम अरनिया लसुड़िया तहसील ताल, जिला रतलाम {म.प्र.}
   {दुर्घटनाकारक वाहन का चालक एवं स्वामी }
2. न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
   सं. कार्यालय—30, भरतपुरी, उज्जैन {म.प्र.}
   {दुर्घटनाकारक वाहन की बीमा कंपनी} .....**अनावेदकगण**

<u>नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.12.2021</u>

आवेदक द्वारा श्री संजय कुमार चौहान अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक क्रमांक 1 अनुपस्थित।

अनावेदक क्रमांक–2 बीमा कंपनी द्वारा श्री दिलीप जैन अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्ष की ओर से एक संयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया है जिसके अनुसार उभयपक्षों के मध्य स्वैच्छया से बिना किसी दवाब के राजीनामा हो गया है। उक्त राजीनामा अनुसार अनोवदक क्र–2 बीमा कंपनी आवेदक को मोटर दुघर्टना में हुई क्षति के के फलस्वरूप कुल 10,000/–रू अक्षरी रूपयें दस हजार मात्र की राशि प्रतिकरस्वरूप अवार्ड दिनांक से 30 दिन में अदा करेगी।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा ओवदन पत्र उन्हें पढकर सुनाये व समझाये जाने पर उभयपक्षों ने स्वेच्छया से व बिना किसी दबाव के राजीनामा करना स्वीकार किया है। आवेदक की ओर से श्री सजंय चौहान अधिवक्ता ने तथा अनावेदक बीमा कंपनी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दिलीप जैन द्वारा राजीनामा स्वीकार किया गया है।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र विधिसम्मत होने से बाद विचार स्वीकार किया जाता है तथा राजीनामा अनुसार निम्नानुसार राजीनामा अवार्ड पारित किया जाता है –

1– अनावेदक क्रमांक 2 बीमा कंपनी आवेदकगण को कुल 10,000/–रू अक्षरी रूपयें दस हजार मात्र की राशि अवार्ड दिनांक से 30 दिन के अंदर अदा करेगी।

2– नियत अवधि में प्रतिकर राशि अदा न किये जाने पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

3– अनावेदक क्र–2 बीमा कंपनी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रतिकर राशि का भुगतान NEFT या RTGS के माध्यम से इस अधिकरण के बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सेठी नगर, IFSC CODE–BKID0009108, ACCOUNT NO.–910810100004643 में जमा करावे।

4– प्रतिकर राशि अदायगी पर आवेदक को 10,000/–रू अक्षरी रूपयें दस हजार मात्र की राशि नगद किसी राष्ट्रीकृत बचत बैंक खाता के माध्यम से प्रदान की जावे।

उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

अधिवक्ता शुल्क सूची अनुसार या प्रमाणीत होने पर जो भी कम हो आंका जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/–	सही/–	सही/–
श्री भूपेंद्र जाजू	श्री पीयूष शर्मा	(संतोष प्रसाद शुक्ल)
सदस्य	सदस्य	पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत	नेशनल लोक अदालत	नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ क्र–8	खण्डपीठ क्र–8	खण्डपीठ क्र–8